संख्या-306/2021/4222/41-2020-160(बजट)2019

प्रेषक,

गिरिजापति द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 31 मार्च , 2021**

विषय:-जनपद मथुरा एवं वृन्दावन के बीच प्रेक्षागृह/आडिटोरियम के निर्माण कार्य की परियोजना हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं तृतीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-3737/6-1-1/ब्र0ती0वि0प0/(82)/2020, दिनांक 09 नवम्बर 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से प्रायोजना के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु रू0-3420.96 लाख के पुनरीक्षित आगणन को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया है।

2- संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की टैगोर कल्चर काम्प्लेक्स योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में संस्कृति विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा **जनपद मथुरा एवं वृन्दावन के बीच प्रेक्षागृह/आडिटोरियम के निर्माण कार्य की परियोजना हेतु नामित** कार्यदायी **संस्था सी0 एण्ड डी0एस0उ0प्र0 जल निगम** द्वारा गठित आगणन रू0-2525.84 लाख के सापेक्ष व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकित लागत रू0-2314.27 लाख के क्रम में शासनादेश सं0-39/2016/वीआईपी-01/चार-2016-226(वि)/2012 टी0सी0 दिनांक 24 फरवरी 2016 द्वारा रू0 2314.27 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई । तदनन्तर संस्कृति विभाग द्वारा प्रायोजना की द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0- 50.00 लाख अवमुक्त किये गये। प्रायोजना हेतु 02 किश्तों में रू0-550.00 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने के उपरान्त भारत सरकार से अपेक्षित धनराशि प्राप्त न होने पर धनाभाव में कार्य अवरूद्ध होने के कारण संस्कृति विभाग द्वारा शासनादेश सं0-1713/चार-2019-226(वि0)/2012 दिनांक 29 जुलाई 2019 के माध्यम से इस परियोजना को पर्यटन विभाग के अन्तर्गत उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से पूर्ण किये जाने हेतु निर्णय संसूचित किया गया। तदनन्तर महानिदेशक पर्यटन से इस अपूर्ण परियोजना को पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा गठित रू0-3420.96 लाख के पुनरीक्षित आगणन को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया। व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक-25-02-2021 में पुनरीक्षित आगणन का परीक्षण /मूल्यांकन करने के उपरान्त पुनरीक्षित लागत रू0- 3250.45 लाख आंकलित की गई है।

3- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रश्नगत चालू प्रायोजना के अग्रतर कार्यों को पर्यटन विभाग उ0प्र0 द्वारा कराये जाने हेतु प्रायोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रू0- 3250.45 लाख (रूपये बत्तीस करोड पचास लाख पैंतालिस हजार मात्र) निर्गत करते हुये तृतीय किश्त के रूप में रू0- 08.00 करोड (रूपये आठ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में जेम पोर्टल/ ई-टेन्डरिंग के माध्यम से क्रय की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07 अप्रैल, 2020 शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 एवं शासनादेश दि0-18-5-2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे। कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की गुणवत्ता पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जायेगी, जिसका पर्यवेक्षण महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत् निर्माण कार्यों में जुलाई 2017 के उपरान्त कियान्वित कार्यों की लागत पर जी0 एस0 टी0 तथा इससे पूर्व क्रियान्वित कार्य की लागत पर निर्णयानुसार सर्विस टैक्स अनुमन्य कर लागत का आंकलन किया गया है । कार्यदायी संस्था एवं महानिदेशक पर्यटन द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0 एस0 टी0 सम्मिलित न हो । निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) परियोजना के कार्यों एवं आपूर्तित सामग्री/फर्नीचर आदि की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना में स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) कार्य की विशिष्टियॉ, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पर्टचार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता तथा नियमानुसार किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(15) समस्त प्रारम्भिक प्रायोजनाओं के प्रायोजना आगणन को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करते समय कार्यदायी संस्था महानिदेशक पर्यटन यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्माण स्थल का कन्टूर प्लान के अतिरिक्त थ्री-डायमेन्शनल (3 डी) मेजरमेन्ट सहित ड्रोन इमेज संलग्न की जायेगी।

(16) प्रायोजना प्रस्ताव में बाट आउट आइटम के अन्तर्गत सी0 सी0 टी0 वी0 , प्रोजेक्टर ,माड्यूलर किचेन को व्यय वित्त समिति द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों के कम में अनुमन्य नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में पृथक से प्रस्ताव वित्त विभाग को स्वीकृति हेतु संदर्भित किया जायेगा ।

(17) निर्माण स्थल नीचा होने के कारण जिलाधिकारी मथुरा द्वारा दिनॉक 01.10.2019 को तकनीकी समिति का गठन किया गया है। गठित तकनीकी समिति द्वारा दिनांक 02.11.2019 को मिट्टी की मात्रा का सत्यान करते हुए मिट्टी की मात्रा 22031.25 घ0 मी0 आंकलित की गयी तथा तकनीकी आख्या जिलाधिकारी मथुरा को प्रेषित की गयी । प्रभाग द्वारा आंकलन के समय प्रस्तावित मात्रा 22031.25 घ0 मी0 को यथावत् मानते हुए मिट्टी की प्रस्तावित दर रू0 407.00 प्रति घ0 मी0 के स्थान पर रू 0 210.50 प्रति घ0 मी0 न्यूनतम कर लागत का आंकलन किया गया है ।

(18) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण / सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा । कार्यदायी संस्था एवं महानिदेशक पर्यटन द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(19) महानिदेशक पर्यटन का यह उत्तरदायित्व होगा कि प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का अन्तिम रूप से अनुमोदित ड्राइंग / डिजाइन के आधार पर विस्तृत आगणन का गठन कर लिया गया है तथा इस विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गई

(20) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विद्युत सम्बन्धी कार्यमदों यथा. स्टेज लाइटिंग /मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर सिस्टम/ सी0सी0टी0वी0/ सिक्योरिटी सिस्टम /ट्यूबवेल /जनरेटर तथा फर्नीशिंग आदि की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गई है जिसे प्रभाग द्वारा भी तद्नुसार परीक्षण किया गया है परन्तु कार्यदायी संस्था एवं महानिदेशक पर्यटन द्वारा इन मदों पर व्यय सुसंगत नियमों के अन्तर्गत एवं न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर सुनिश्चित कराया जायेगा । इन मदों में वास्तविक व्यय ही देय होगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व महानिदेशक पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था का होगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(21) प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना ,प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।
(22) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति/डूप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिदेशक पर्यटन द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यकम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है ।

(23) प्रभाग द्वारा लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मान हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है । मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा ।

4- उक्त प्रस्तर-3 में स्वीकृत की जा रही धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-42-उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021-231/2020 दिनांक 20 जनवरी 2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

<u>संख्या-306/2021/4222/41-2020-160(बजट)2019 तद्दिनांक::</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- विशेष सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- जिलाधिकारी, मथुरा।
5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा।
6- निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0 (उ0प्र0 जल निगम), लखनऊ।
7- प्रोजेक्ट मैनेजर, सी0 एण्ड डी0एस0 (उ0प्र0 जल निगम), मथुरा।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा।
9- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11- संबंधित उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
12- उप निदेशक पर्यटन, आगरा ।
13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
14- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in